International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 8, Issue 10, October 2021
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

वित्तीय समावेशन व विकास–एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 दिने"ा कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पावत)
Email: economicsdkg@gmail.com

सारांश–

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी व आधारभूत ढांचा होता है। जितना ही अधिक यह ढांचा मजबूत होगा, विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। अर्थव्यवस्था के ढांचा के कमजोर होने पर किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास एवं उन्नति के मार्ग पर पहुचाने के लिए नीति–निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग व नीतियों का निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में शामिल कर सके। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत प्रत्येक द्वार तक बैंकिगं व वित्तीय व्यवस्थाएं पहुचाने का प्रयास किया जाता है। जिसमेंयह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर स्थित प्रत्यके व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से जोड़ा जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित ना रहे।

प्रस्तावना–

वित्तीय समावेशन, किफायती कीमतों पर समाज के बड़े वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी प्रदान करता है। भारत में अभी भी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार नकद भुगतान से कैशलेस तक के पूरे भुगतान को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है। लेविन (2005) ने वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास के बीच अंतःक्रिया पर गहन अध्ययन किया है। और पाया कि वित्तीय विकास व समावेशन से उद्यमिता, नई फर्म के गठन और इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और जैसे–जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है, वित्तीय प्रणाली को निवेश के अवसरों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने, कुशल कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने, बचतों को जमा करने और जुटाने और विकास के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय सेवाओं का विस्तार होता जाता है। उन्होने पाया कि वित्तीय प्रणाली को अमीर और प्रभावशाली लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

विकास के लाभ सभी तक पहुचन चाहिए। वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा 'डिजिटल भारत' अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही 'जैम त्रयी' (जनधन–आधार–मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान ज़रूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है। वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मज़बूरी के कारण अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है। चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अतः उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं नित नए व्यावसायिक अवसरों का सृज़न करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा उपलब्ध सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

इतिहास–

वित्तीय समावेशन की अवधारणा, उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है, जिनके पास आमतौर पर बैंकिंग पहुंच की कमी है, 1950 के दशक से भारत सरकार का एक लक्ष्य रहा है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण , जो 1950 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के अंत तक हुआ, 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ समाप्त हुआ, देश के पहले अगम्य क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को लाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं ने कृषि और अन्य असेवित ग्रामीण आबादी के लिए ऋण में वृद्धि की और इंदिरा गांधी ने इसे विकास में तेजी लाने और गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक रणनीति के रूप में बताया। अग्रणी बैंक योजना ने राष्ट्रीयकरण का अनुसरण करते हुए जिलों द्वारा बैंकों और ऋण संस्थानों को समन्वित करने के तरीके के रूप में और अधिक व्यापक रूप से सुनिश्चित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। 1975 में, भारत सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयासों के साथ इसका पालन किया और पिछले कुछ वर्षों में आरआरबी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2000 के दशक की शुरुआत तक, भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था। 2004 म भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए खान आयोग ने भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति की

जांच की और सिफारिशों की एक श्रृंखला तैयार की। जवाब में, आरबीआई गवर्नर वाई. वेणुगोपाल रेड्डी ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली से लाखों लोगों को बाहर करने के बारे म चिंता व्यक्त की और बैंकों से अपने वार्षिक और मध्यावधि नीति वक्तव्य दोनों में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ अपनी मौजूदा प्रथाओं को बेहतर ढंग से संरेखित करने का आग्रह किया। आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर बैंकिंग उत्पादों को विकसित करने, नए नियम बनाने और वित्तीय समावेशन की वकालत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। चूंकि वित्तीय समावेशन को भारत सरकार और आरबीआई की प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए प्रगति हुई है। मंगलम, पुडुचेरी भारत का पहला गाँव बना जहाँ सभी परिवारा को बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई। पुडुचेरी , हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी जिलों में 100प्रतिशत वित्तीय समावेशन की घोषणा की।

सेन (2000) ने स्पष्ट किया कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने और क्षमताओं के सृजन को सक्षम बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्रों के द्वारा साख व ऋण का वितरण समावेशन की मूल गतिविधि है।

डांगी और कुमार (2013) ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा की गई समावेशन व विकास के पहलों और नीतिगत उपायों की जांच की और पाया कि वित्तीय समावेशन में प्रगतिशील सम्भावनाएं है। लेकिन इस दिशा में पर्याप्त प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि गरीबों को बैंकिंग से दूर नहीं किया गया है।

"वित्तीय समावेशन से तात्पर्य कम आय वाले लोग और समाज में वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है" **(सिंह, 2018)**। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी **अन्नान ने 29 दिसंबर 2003** को कहा कि कड़ी वास्तविकता यह है कि दुनिया के अधिकांश गरीब लोगों के पास अभी भी स्थायी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं ह, चाहे वह बचत, ऋण या बीमा हो। बड़ी चुनौती यह है कि उन बाधाओं को दूर करें जो लोगों को वित्तीय क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी से बाहर करती हैं। साथ में, हम समावेशी वित्तीय क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

2009 में, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) में स्थित समावेशी वित्त विकास (यूएनएसजीएसए) के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष अधिवक्ता के रूप में, क्वीन मैक्सिमा सस्ती, प्रभावी और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच और जिम्मेदार उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रणी वैश्विक आवाज है।

अध्ययन का उद्देश्य

- वित्तीय समावे"ान व बैकिंग के प्रभाव का अध्ययन करना।
- वर्तमान व भावी चुनौतियों के आधार पर आगे की सम्भावानाओं का अध्ययन करना

अनौपचारिक बैंको जैसे सेठ साहूकारों से ऋण लेने व देने में ऋण पर ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और जो उधार राशि दी गई है वह भी काफी कम होती है। अनौपचारिक बैंकिंग व्यवस्था कानून की परिधि से बाहर होता है । उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटारा नहीं किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की पहल स्वरूप आधार कार्ड , प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं मोबाइल संचार में वृद्धि ने ग्रामीण व शहरों तक सरकारी सेवाओं के पहुंचाने का तरीका बदल दिया है। अनुमानतः वर्ष 2020 में जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबी तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है । इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने बैंक शाखाएं खोलीं, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, बैंकों के साथ स्व–सहायता समूह को जोड़ा है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन (ATM) की संख्या बढ़ाई है और बैंक क्षेत्र में व्यावसायिक योजनाकर्ता मॉडल (Commercial Scheme Maker Model) को बढ़ावा दिया है । डिजिटल पेमेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एकीकृत भुगतान अन्तराफलक को मजबूत करने के लिए पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाया गया है । आधार सक्षम भुगतान प्रणाली आधार सक्षम बैंक खाते को किसी भी समय किसी भी स्थान पर माइक्रो एटीएम का उपयोग कर सक्षम बनाती है । आरबीआई के द्वारा ऑफलाइन लेन–देन सक्षम करने वाले प्लेटफार्म अवसंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया है। इसके कारण सामान्य मोबाइल हैंडसेट पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना संभव हो जाता है । इसके साथ ही आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए 'वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना शुरू की है । इस परियोजना का उद्देश्य केन्द्रीय बैंक और सामान्य बैंक की अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूह, जिसके अंतर्गत स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएं, ग्रामीण और शहरी गरीब एवं वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं; इन्हें वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है ।

वित्तीय समावे"ान योजनाएं–

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

इस स्कीम का उद्देश्य लोगों के बैंक खाते, क्रेडिट साख, बीमा और पेंशन जैसी सस्ती जरूरतों के पहुंच का विस्तार करना है। प्रधान मंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना में 28 अगस्त 2014 को पहले ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इस योजना के पहले सप्ताह के अंत तक 18 लाख खाते खोले गए। अगले 4 वर्षों में, 31.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए और 792 अरब रुपये से अधिक प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत जमा किए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओ को स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोलने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका देना है।

मुद्रा योजना

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) नामक एक प्रमुख योजना शुरू की। यह योजना गैर–कॉर्पोरेट, गर–कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती ऋण लाने में मदद करती है। इस योजना का एक अन्य लक्ष्य लक्षित दर्शकों को मान्यता प्राप्त वित्तीय क्षेत्र, यानी वित्तीय समावेशन में लाना था। MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसो लिमिटेड) एक पुनर्वित्त समूह है जो पात्र उद्यमों को कम ब्याज दरों पर दस लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

जीवन बीमा यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि मृतक के परिवार के सदस्य जो परिवार में एकमात्र रोटी–के सहारा होते हैं, उन्हें दैनिक खर्चों, आवास भुगतान, अन्य ऋण या बंधक के भुगतान के लिए वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो एक वर्ष के लिए बीमा प्रदान करती है, वार्षिक आधार पर अनिवार्य नवीनीकरण के अधीन, मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, इस योजना का 2018 तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को भारत के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। यह फरवरी 2015 में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तावित आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होने वाली सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) किसी भी दर्घटना या दुर्घटना के मामले में समाज के निचले वर्ग के लोगों को बीमा पॉलिसी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना सड़क विक्रेताओं, रिक्शा चालकों, कूड़ा बीनने वाले, मोची, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों और निर्माण, भूमिहीन मजदूरों आदि जैसे ब्लू–कॉलर श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। 9 मई 2015 को शुरू की गई, यह योजना स्वावलंबन योजना नामक सरकार द्वारा संचालित पिछली योजना की जगह लेती है और इसे एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित और नियंत्रित किया जाता है। अटल पेंशन योजना को लोगों ने खूब सराहा है, जिसके ढाई करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इस योजना के तहत, सरकार एक कार्यकर्ता द्वारा जमा की गई कुल धनराशि का 50 प्रति"ात अंशदायी राशि भी प्रदान करती है।

स्टैंड अप इंडिया योजना

स्टैंड–अप इंडिया योजना का उद्देश्य एक ग्रीनफील्ड उद्यम की स्थापना के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करना है। यह व्यवसाय निर्माण, सेवाओं, कृषि से संबंधित गतिविधियों या व्यापार में हो सकता है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो एक गारंटीकृत पेन प्रदान करती है।

उत्तराखण्ड में वित्तीय समावेशन के लाभ

1. विश्व बैंक की वित्तीय समावेशन डेटाबेस और ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार वर्ष 2014 में अनुमानित 53% भारतीय युवाओं की अपेक्षा वर्तमान में 80% युवाओं के पास एक ही बैंक खाता है ।
2. वित्तीय समावेशन समाज में कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने के लिये विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा एवं पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है । पूर्व में निजी वित्तीय संस्थान सीमित आय वाले ग्राहकों के साथ संलग्न नहीं थे । परंतु अब समय में परिवर्तन के साथ एवं टेक्नोलॉजी में परिवर्तन से निम्न वर्ग के साथ भी निजी वित्तीय संस्थाएं जैसे पेटीएम, एयरटेल मनी, जियो मनी और गूगल पे की सक्रिय भागीदारी हुई है ।
3. वित्तीय समावेशन से सरकार को भ्रष्टाचार कम करने में मदद मिली है क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने की बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज सकती है ।

Table-1 **Financial Inclusion in Uttarakhand**

S.N	District Name	Bank branches up to Dec-19	Bank branch on average population	Total Deposit Rs (in Crore)	C: D Ratio
1	Dehradun	583	2910	53798	42
2	Uttarakashi	64	5158	2216	41
3	Haridwar	283	6680	20311	81
4	Tehri	134	4619	5002	25
5	Pauri	197	3489	8506	24
6	Chamoli	95	4122	3462	74
7	Rudraprayag	55	4405	2002	21
8	Almora	145	4293	5554	22
9	Bageshwar	52	4998	1704	28
10	Pithoragarh	107	4518	4385	43
11	Champawat	60	4327	2193	28
12	Nainital	258	3700	15255	43
13	Udham Singh Nagar	333	4952	13889	112

Source: State Level Bankers Committee, Uttarakhand (2019)

उत्तराखंड राज्य मे कुछ मानकों पर वित्तीय समावेशन में बेहतर स्थिति प्राप्त हुई है। प्रति औसत जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में प्रति बैंक शाखा की औसत जनसंख्या का आकार 4263 है। जिससे यह ज्ञात होता है कि राज्य में बैकिंग प्रसार बढ रहा है।

उत्तराखंड का भूभाग और कृषि–जलवायु परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अनेक चुनौतियों के साथ–साथ विकास और विकास के अवसर प्रदान करती हैं। उत्तराखंड में सामान्यतः जमा तीन कारकों के कारण ऋण से अधिक होते हैं। राज्य से बाहर काम करने वालों (सेवाओं, स्थानीय सरकारी सेवाओं या मैदानी इलाकों में प्रवासियों के रूप में) से प्रेषण के द्वारा एक बड़ा प्रवाह होता है। इन प्रेषण से परिवारों की जीविका आगे बढती है। कृषि साधन एक निर्वाह प्रकृति की है। उत्तराखंड में कई हितधारकों के रहन सहन से स्पष्ट है कि बैंकिग प्रसार बढा है, लेनदेन बढा है और लोगो की आय भी बढी है।

वित्तीय समावेशन संबंधित चुनौतियां

1. **सभी की बैंकों तक पहुंच नहीं** – बैंक खाते सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार हैं लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 190 मिलियन नागरिकों के पास बैंक खाता ही नहीं है। जिससे भारत चीन के बाद गैर–बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ।
2. **डिजिटल डिवाइस** – कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक तकनीकी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं ।

3. **नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का अभाव** – जनधन योजना के परिणाम स्वरूप कई हजार निष्क्रिय खाते खुल गए हैं, जिसमें वास्तविक बैंकिंग लेन–देन नहीं हुआ है ।
4. **अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थव्यवस्था** – भारत में एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में लगभग 81% व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेनदेन के लिए नगदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए बाधा है ।

वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु किए जाने वाले सझाव

1. देश व प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करनी चाहिए ।
2. ग्राहकों तक बैंकिंग सुविधा सरल व सुगम तरीके से पहुंचानी चाहिए ।
3. राज्य में वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु विभेदीकृत (DISCRIMINATED) बैंक जैसे भुगतान बैंक और छोटे वित्त बैंक पिछड़े क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने में कारगर विकल्प साबित हो सकते है ।
4. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति निर्माण की प्रक्रिया एक प्रभावी प्रणाली है ।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए। जिसके माध्यम से उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और नीतिगत ढांचे को मजबूत किया जाए और नई तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया गया तो वित्तीय समावेशन गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ से जोड सकता है। समावेशी वित्तीय विकास मौजूदा वक्त की जरूरत है। वित्तीय समावेशन को और प्रभावी बनाने के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की जरूरत है। कर्ज देने के लिए उचित मंचों व माध्यमो से कर्ज की पहुंच और इसके माध्यम से समावेशी समाज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वित्तीय तकनीक को भी बढ़ावा देने की और जरूरत है। इसके तहत सॉफ्टवेयर और आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे वर्तमान तथा भावी समय में इसमें तीव्रता बढे और दे"ा का प्रत्येक नागरिक इसकी पहुंच में आ जाय।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- महाजन, वी और रमोला, बीजी (1996)। भारत में ग्रामीण गरीबों और महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाएंरू पहुंच और स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय विकास के जर्नल। 8(2), 211–224
- केतकर, कुसुम डब्ल्यू. केतकर, सुहास एल. बैंक का राष्ट्रीयकरण, वित्तीय बचत, और आर्थिक विकासरू भारत का एक केस स्टडी । ओसीएलसी 82987271
- कोल, शॉन एलन (2007)। वित्तीय विकास, बैंक स्वामित्व, और विकास या, क्या मात्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है? (पीडीएफ) वर्किंग पेपर सीरीज़ ।
- आंतरिक समूह की रिपोर्ट ग्रामीण ऋण और माइक्रोफाइनेंस से संबंधित मुद्दे की जांच करने के लिए संग्रहीत जून 10, 2012, पर वेबैक मशीन , भारतीय रिजर्व बैंक , जुलाई 2005।
- भारतीय रिजर्व बैंक – वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य, भारतीय रिजर्व बैंक
- वर्ष 2005–06 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डॉ. वाई. वेणुगोपाल रेड्डी का वक्तव्य , भारतीय रिज़र्व बैंक , 25 अक्टूबर 2005।
- ए.सेन (2000) सो"ाल एक्सक्लूजन : कान्सेप्ट, अप्लीके"ान एण्ड स्क्रूटनी। सो"ाल डेबलपमेन्ट पेपर्स न01, ए0डी0बी0
- एन. दॉगी, पी. कुमार (2013) करेन्ट सिचुए"ान आफ फाइनेन्सियल इन इंडियां एण्ड इट्स फयुचर विजन। इन्टरने"ानल जनरल आफ मैनेजमेन्ट एण्ड सो"ाल साइन्स रिसर्च,2 Retrieved from http://www.irjcjournals.org/ijmssr/Aug2013/23.pdf